# बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

## 28 फरवरी 2020

---

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी ].

Total Short Notice Question- 8

---

### आर्थिक लाभ कबतक

*33 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-
क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवा पुराने शिक्षकों की भांति ली जा रही है और उन्हें विद्यालयों के सभी कार्यों का निर्वहन करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालयों में वेतनमान पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा-समापित के कगार पर है और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात नियोजित शिक्षकों को ही उनका दायित्व सौंपने की प्रक्रिया चल रही है किन्तु उनके वेतन आदि भत्ते की बढ़ोतरी करने की चिंता विभाग को नहीं है, जिससे प्रभावित शिक्षक मायूस हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित खंड 'क' एवं 'ख' की स्थिति में नियोजित शिक्षकों को भी अत्यधिक आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

### पारित आदेश के आलोक में भुगतान

*34 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि श्री सुधांशु शेखर कुमार एक तदर्थ शिक्षक के रूप में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में कार्यरत थे जिनका बकाया वेतन विश्वविद्यालय में वर्षों से लंबित है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री सुधांशु शेखर कुमार खुद दिव्यांग हैं और उनकी वृद्ध माता भी अत्यंत ही अस्वस्थ रह रही हैं जबकि लाखों रुपये के बकाये वेतन हेतु इन्हें लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विश्वविद्यालय के अभिषद् द्वारा भी इनके बकाये वेतन के भुगतान हेतु पारित आदेश के आलोक में पंद्रह दिनों के अन्दर भुगतान सुनिश्चित संभव है, यदि नहीं तो क्यों?

---

## विद्यालय के नये भवन का निर्माण

*35 **Mr. Kedar Nath Pandey (Saran Teacher ):**

Will the **Education** be pleased to state क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- (क) क्या यह सही है कि सीवान जिले के श्री कृष्ण उच्च विद्यालय कैलगढ़ अंचल बड़हरिया का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है और शिक्षण के लिए अनुपयुक्त हो गया है; (ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में लगभग दो हजार छात्र-छात्रा अध्ययन करते हैं और बरसात, धूप में उनको बैठने के लिए वर्ग कक्ष की सुविधा नहीं रह गई है और बरसात के मौसम में बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे देनी पड़ती है; (ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित विद्यालय के लिए नये भवन का निर्माण कबतक करना चाहती है?

---

## छात्रवृत्ति,पोशाक एवं पुस्तकें देने का विचार

*36 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार ):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के फतेहपुर ग्राम स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में विगत चार वर्षों से छात्रवृत्ति, कई वर्षों से पोशाक योजना की राशि एवं दो वर्षों से पुस्तकें नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बकाया छात्रवृत्ति, पोशाक की राशि एवं पुस्तकें देने का विचार रखती

है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## सेवाकाल में वित्तीय उन्नयन का लाभ

***37 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-554, दिनांक 06.03.2019 के द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय सहित) के सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष का वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन ये तीनों लाभ प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिलता है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को तीनों उन्नयन (एम.ए.सी.पी.) का लाभ नहीं मिलने से कार्यरत प्रभावित शिक्षकों में रोष एवं असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भांति प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों को भी 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के सेवाकाल में वित्तीय उन्नयन का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

---

## उच्च शैक्षणिक संस्थान कबतक

***38 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि 'ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19' की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 से 23 साल की प्रति एक लाख आबादी पर केवल सात कॉलेज हैं;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में उच्च शिक्षा में अभी आधारभूत संरचना का अभाव बना हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए समुचित संख्या में उच्च शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं, जिसके कारण राज्य की युवा पीढ़ी को पढ़ाने के लिए

प्रदेश की पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बिहार के बाहर खर्च हो रहा है;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार 18 से 23 साल की प्रति एक लाख आबादी पर कर्नाटक में 53 कॉलेज, तेलंगाना में 50 कॉलेज, आंध्र प्रदेश में 49 कॉलेज, हिमाचल प्रदेश में 47, केरल में 45 कॉलेज हैं जबकि बिहार में मात्र 7 कॉलेज हैं;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के विद्यार्थियों के लिए समुचित संख्या में उच्च शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

---

## अवकाश का प्रावधान लागू कबतक

***39 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं मुहैया कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में वेतनमान शिक्षक/शिक्षिकाओं को मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश का प्रावधान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित सभी कोटि के शिक्षकों को वेतनमान शिक्षकों की तरह मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश का प्रावधान लागू करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

---

## बी.पी.एल. बच्चों का नामाकरण

***40 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

Will the **शिक्षा** be pleased to state:-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आरटीई के तहत सभी सी.बी.एस.ई. और प्राइवेट स्कूल को प्राइमरी कक्षा में 25 फीसदी सीट पर बी.पी.एल. बच्चों का नामांकन लेना है, इसके लिए सरकार की ओर से इन स्कूलों को राशि भी दी जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में कितने सी.बी.एस.ई. और प्राइवेट स्कूल प्राइमरी स्तर के हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में 25 प्रतिशत बी.पी.एल. बच्चों का वर्ष

2019-20 में राज्य में कितना नामांकन हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि सी.बी.एस.ई. और प्राइवेट स्कूल को प्राइमरी कक्षा में बी.पी.एल. बच्चों को नामांकन नहीं करने पर कार्रवाई करना चाहती है?

---